रजिस्टर्ड नं0 एल0-33-एस0 एम0 13-14/97.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 17 सितम्बर, 1997/26 भाद्रपद, 1919

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

विधायी (अंग्रेजी) अनुभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 15 सितम्बर, 1997

संख्या एल0 एल0 आर0-डी0 (6)-5/97-लैज.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 30-8-1997 को यथा अनुमोदित दण्ड विधि (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1997 (1997 का विधेयक संख्यांक 7) को वर्ष 1997 के हिमाचल प्रदेश अधिनियम

संख्यांक 19 के रूप में अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,

सुरेन्द्र सिंह ठाकुर,
सचिव।

1997 का अधिनियम संख्यांक 19.

दण्ड विधि (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1997

(राष्ट्रपति महोदय द्वारा तारीख 30 अगस्त, 1997 को यथा अनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश राज्य में यथा लागू भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) का और संशोधन करने के लिए **अधिनियम** ।

भारत गणराज्य के अड़तालीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दण्ड विधि (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1997 है। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर है।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

1860 का 45. 2. हिमाचल प्रदेश राज्य में यथा लागू भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 304-क के पश्चात् निम्नलिखित धारा जोड़ी जाएगी, अर्थात् :— 1860 के केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 45 का संशोधन ।

"304-क क. **मत्तता की अवस्था में सार्वजनिक सेवा यान चलाते हुए मृत्यु या शारीरिक क्षति कारित करना.**—जो कोई, मत्तता की अवस्था में, सार्वजनिक सेवा यान चलाएगा, या चलाने का प्रयत्न करेगा, और किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करेगा, जो आपराधिक मानव-वध की कोटि में नहीं आती है, या कोई ऐसी शारीरिक क्षति कारित करेगा जिससे मृत्यु कारित हो जाना संभाव्य हो वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा मानो कि वह कार्य, जिसके द्वारा मृत्यु या शारीरिक क्षति कारित की गई है, यह ज्ञान रखते हुए किया गया है कि ऐसे कार्य से मृत्यु हो सकती है या ऐसी शारीरिक क्षति हो सकती है जिससे मृत्यु कारित होना सम्भाव्य है।

स्पष्टीकरण.—"सार्वजनिक सेवा यान" से ऐसा कोई मोटर यान अभिप्रेत है जिसका उपयोग भाड़े या पारिश्रमिक पर यात्रियों का वहन करने के लिए किया जाता है या जिसे उपयोग के लिए अनुकूल बना लिया गया है तथा इसके अन्तर्गत बड़ी टैक्सी मोटर टैक्सी, ठेला गाड़ी और मंजिली गाड़ी भी है।"

1974 के केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 2 का संशोधन ।

3. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की प्रथम अनुसूची के शीर्षक "1. भारतीय दण्ड संहिता के अधीन अपराध" के अधीन धारा 304-क से सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियां अन्त:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-- 1974 का

1	2	3	4	5	6
"304-कक	मत्तता की अवस्था में सार्वजनिक सेवा यान चलाते हुए मृत्यु या शारीरिक क्षति कारित करना ।	आजीवन कारावास या सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	अजमानतीय	सेशन न्यायालय ।"

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 19 of 1997.

THE CRIMINAL LAW (HIMACHAL PRADESH AMENDMENT) ACT, 1997

(AS ASSENTED BY THE PRESIDENT ON 30TH AUGUST, 1997)

AN

ACT

further to amend the Indian Penal Code, 1860 (*Act No.* 45 *of* 1860) *and the Code of Criminal Procedure,* 1973 (*Act No.* 2 *of* 1974), *in their application to the State of Himachal Pradesh.*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Forty-eighth Year of the Republic of India, as follows:—

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Criminal Law (Himachal Pradesh Amendment) Act, 1997.

(2) It extends to whole of the State of Himachal Pradesh.

(3) It shall come into force at once.

Amendment of Central Act No. 45 of 1860.

45 of 1860

2. After section 304-A of the Indian Penal Code, 1860, in its application to the State of Himachal Pradesh, the following section shall be added, namely :—

"**304-AA.** *Causing death or injury by driving a public service vehicle while in a state of intoxication.*—Whoever, while in a state of intoxication, drives or attempts to drive a public service vehicle and causes the death of any person not amounting to culpable homicide, or causes any bodily injury likely to cause death, shall be punished with imprisonment for life, or imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine, as if the act by which death or bodily injury is caused, is done with the knowledge that he is likely by such act to cause death or cause such bodily injury as is likely to cause death.

Explanation.—"Public service vehicle" means any motor vehicle used or adapted to be used for the carriage of passengers for hire or reward, and includes a maxicab, a motorcab, contract carriage and stage carriage".

Amendment of Central Act No. 2 of 1974.

3. In the First Schedule to the Code of Criminal Procedure, 1973, under the heading "I. OFFENCES UNDER THE INDIAN PENAL CODE", after the entries relating to section 304-A, the following entries shall be inserted, namely :— 2 of 1974

1	2	3	4	5	6
"304-AA	Causing death or injury by driving a public service vehicle while in a state of intoxication	Imprisonment for life, or imprisonment for seven years and fine	Ditto	Non-bailable	Court of Session"

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।